ORDER SHEET [Contd] विशेष विद्युत प्र0क0 38/2013

मेशनल लोक अदालत दिनांक 10.02.2018 परिवादी विद्युत वितरण कंगनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्री मालनपुर श्री सितेश गुप्ता सिहत श्री ए०कं० श्रीवास्तव अधिववत्ता उपस्थित । अभियुक्त सिहतं / द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण में परिवाद विद्युत विभाग द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के तहत आरोप लगाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के तहत आरोप लगाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध अध्याप अपराध है एवं नेशनल लोक अदालत है सामाल में अभियुक्त के विरुद्ध अध्याप अपराध है एवं नेशनल लोक अदालत है मान से विद्युत उर्जा की राशि व शानन शुक्क जमा किया जा युका है तथा उनयपक्ष ने व्यक्त किया है के उनके मध्य स्वेच्छ्या पूर्वक राजीनामा हो गया है। अतएव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जाये। सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन उचित होने से स्वीकार कर राजीनामा के आरोप पर अभियुक्त के वक्त धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध जमानती/िरफ्तृतारी वारंट जारी होने की दशा में उस्ते अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये। प्रकरण में जप्तशुद्धा सम्पत्ति नहीं है/नष्ट हो। आदेश की प्रति उमयपक्ष को निःशुक्क प्रदाय हो। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार मेजा जावे। (संजय सिंह गुर्जर एड.) (बृजराज सिंह गुर्जर एड.) (सतीश कुमार गुन्ता) सदस्य भावतीन अधिकारी खळणीक्क0-18 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद	Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
		परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री मालनपुर श्री सितंश गुप्ता सहित श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्त सहित / द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ । प्रकरण में परिवाद विद्युत विभाग द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत भरो लगाया गया है । उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम अपराध है एवं नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत उर्जा की राशि व शमन शुल्क जमा किया जा चुका है तथा उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि उनके मध्य स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है । अतएव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे । सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन उचित होने से स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को उक्त धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त के विरूद्ध जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये । प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है / नष्ट हो । अादेश की प्रति उभयपक्ष को निःशुल्क प्रदाय हो । परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे । (संजय सिंह गुर्जर एड.) (बृजराज सिंह गुर्जर एड.) (स्तीश कुमार गुप्ता) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी ख०पी०क0-18 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद	